टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

गुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 10 नवम्बर, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में 31(इक्तीस) कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 43 कार्यो के रूपये 3442.93 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 3247.73 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख तिरहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 4.70 लाख (रू0 चार लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दर को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यो में आवश्यक [illegible] धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम [illegible] स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि से [illegible] विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप हों। कार्यों का सम्पादित कराते समय [illegible] करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों [illegible] ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है [illegible] दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा [illegible] उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग–1 द्वारा निर्गत [illegible] 2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय–2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जाय।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष मे जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-1028/XXVII(2)/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- 32 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2884(1)/III-2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमांयू मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोडा/पौडी ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन
10. गार्ड बुक।

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता,
कु० क्षे०, लो० नि० वि०,

आज्ञा से,

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

प्र०सं० 3626 / 473 मा०-कु० -------- दि० 20/11/06

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अधीक्षण अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ लो.नि.वि. अल्मोडा/नैनीताल/पिथौरागढ़/हल्द्वानी
(2) समस्त मा० तर्ग ...

सहायक अभियन्ता
... विभाग

क्र० सं0		(किमी. में)	लागत	आंकलित राशि	07 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	देहरादून में जौलीग्रान्ट में ग्राम जौली एवं अठूरवाला के विभिन्न मार्गों का सुधार कार्य	2.20	48.23	48.00	0.10
2.	हरिपुर कला में प्रा0पा0 से गीता कुटीर से लेकर आनन्दोत्सव तक मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	3.00	73.95	73.95	0.10
3.	छिद्रवाला, चक जोगीवाल सहाब नगर क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कार्य	7.00	136.50	134.00	0.10
4.	माजरी ग्रान्ट, बालकुवारी, शेरगढ़, लालतप्पड़ में मार्गों का निर्माण कार्य	8.00	155.60	153.60	0.10
5.	गुनानीवाला, भुट्टोवाला, श्यामपुर से लेकर आई.डी.पी.एल. के सामने काली की ढाल तक और बापू ग्राम में विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य	8.00	155.60	153.60	0.10
6.	गंगा नगर, इन्दिरा नगर में विभिन्न सड़कों का निर्माण	6.00	117.00	115.00	0.10
7.	ग्राम पंचायत खदरी श्यामपुर के अन्तर्गत विभिन्न सडकों का निर्माण	3.00	58.50	57.60	0.10
8.	देहरादून में इन्दर बाबा मार्ग से साई आशीष भवन तक सी.सी. मार्ग एवं फुटपाथ का निर्माण	300मी0	21.00	20.00	0.10
9.	तहसील धारी में स्थित टपुवा में जगत सिंह के मकान से बेलवाल मंदिर तक सी.सी. मार्ग निर्माण	0.40	10.55	10.00	0.10
10.	तहसील धारी में स्थित ग्राम पलड़ा में पी.एच.के. मोटर मार्ग के किमी0 10 से सामुदायिक मिलन केन्द्र देवनगर तक सी.सी. मार्ग निर्माण	1.50	50.84	50.80	0.10
11.	धानाचूली–ओखलकाण्डा मोटर मार्ग के ऐड़ीधार से मनाधेर की ओर मोटर मार्ग का निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य	1.55	50.12	38.80	0.50
12.	ओखलकाण्डा से करायल से जनराड़ी तक डामरीकरण का कार्य	3.00	75.61	53.90	0.50
13.	बेताल घाट में मल्ली सेठी नामक स्थान पर स्वीकृत पुल में 110 मी0 अवशेष अतिरिक्त भाग का निर्माण कार्य	110मी0	182.00	175.00	0.10
14.	नैनीताल में कोसी नदी पर रतौड़ा नामक स्थान पर मोटर पुल निर्माण का कार्य	120मी.	308.40	300.[illegible]	0.10
15.	पिथौरागढ़ मे कठपतिया गुडौली से दौला मोटर मार्ग का निर्माण	3,50	62.30	62.30	0.10
16.	पौड़ी गढवाल में डियोड़–धामधार मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	172.50	172.50	0.10
17.	धौलादेवी के अन्तर्गत बमनस्वाल नामक स्थान पर सुवाल नदी में झूला पुल निर्माण कार्य	60मी0	66.40	62.40	0.10
18.	रूद्रप्रयाग में नगरासू के पास अलकनन्दा नदी पर झूला पुल निर्माण	75मी0	162.63	143.78	0.10
19.	बागेश्वर में गागरीगोल–चनौली–नरग्वाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण व आर.सी. सेतु निर्माण	10.00+10मी0 सेतु	221.00	182.50	0.10
20.	लोहाघाट के अन्तर्गत पटनगॉव–कजीना–पुनौली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	3.00	75.75	53.40	0.10

229-Ce-3066-07

(पिथौरागढ़)